7/8/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट पक्ष के प्रतिनिधि और वकील अपीलांट के निवेदन पर उन्हें सुना गया। अपीलांट पक्ष की आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23/12/16 से रेस्पो (प्रार्थीगण) को दिया गया रास्ता इनके खेत ख नं० 99 के बीचोंबीच दिया गया है जिससे इनका खेत दो भागों में विभक्त हो जाता है। खेत के दो बराबर टुकड़े हो जाने से इन्हें उनके रख-रखाव, उनको बोने एवं छोटी आकार की जोत होने से बहुत कठिनाई होती है, नुकसान होता है जो किसी भी काश्तकार के लिए असहनीय है। अपीलांट पक्ष को रास्ता देने हेतु राजी किया गया तो उन्होंने अपने खेत ख.नं० 99 की सीमा के सहारे-सहारे, जो ख.नं० 77 तथा तत्पश्चात् ख नं० 98 के साथ लगती है, पूर्व में प्रदत्त रास्ते की समान चौड़ाई वाला रास्ता देना स्वीकार कर लिया। इस रास्ते के बारे में रेस्पोडेंट पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें वांछित रास्ता दिया जा रहा है, वे सुविधाजनक रास्ता चुनने का अधिकार नहीं रखते। पूर्व में प्रदत्त रास्ता और अब प्रस्तावित रास्ते के अधीन रकबा समान अर्थात् 13 बिस्वा ही रहता है। इससे अपीलाधीन निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होता बल्कि इसके संलग्न नक्शा को निरस्त कर इसमें आंशिक संशोधन किया जाना ही वांछित रहेगा। अपीलांट पक्ष की रजामंदी के अनुसरण में मौके पर से उनके प्रस्ताव अनुसार रास्ता का नक्शा पटवारी हलका को टेलीफोनिक निर्देश दिये जाकर तैयार करवाया जाकर इस पर समस्त अपीलांटगण की रजामंदी/स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप बाद उनकी पहचान हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात करवाये जाकर मंगवाया गया

P.T.O

-आसताराम

(वकील रेस्पोडेंट)

बालाराम
(उत्तरदाता सं० 9)

(वकील अपीलांट)

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/19	जो "परिशिष्ट अ" से सम्बोधित होकर संलग्न पत्रावली किया गया। इस "परिशिष्ट अ" के मुताबिक रास्ता दिया जाना तय किया गया। अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मुताबिक इनकी रजामंदी/स्वीकृति अपीलाधीन निर्णय में ख.नं. 99 के संबंध में प्रदत्त पूर्व के रास्ते को केंसिल (खारिज) कर नवीन रास्ता "परिशिष्ट अ" मुताबिक दिया जाता है। इस सीमा तक अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के प्र.नं. 155/2015 में आदेश दिनांक 23.12.2016 को संशोधित किया जाता है; शेष निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह "परिशिष्ट अ", जो इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, के मुताबिक ख.नं. 99 मौजा लुणवा जागीर में रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर इनके अनुरूप ही तरमीम कर पुख्ता करके पालना पठावें। आदेश / निर्णय को इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 7/8/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

नक्शा ट्रेस
मौजा · उकजी की ढाणी
पैमाना ११६ = ४० कड़ी

संशोधित शीर्षक

RRO- बाड़मेर के टेलिफोन (दूरभाष) पर दिए गए मौखिक निर्देशों की पालना में तैयार किया गया नजरी नक्शा (प्रस्तावित गैर मु. रास्ता) का

समक्ष: राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

- प्रस्तावित गैरमु. रास्ते का रकबा 0-13 बीघा
- प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 20 कड़ी

"परिशिष्ट 'अ'"
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
अपील सं. 5/2017 u/s 225 RT Act
अनाराम वगैरह बनाम प्रभुराम वगैरह
निर्णय दिनांक 7/8/19
यह परिशिष्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।
(हस्ताक्षर) 7/8/19

अपीलांट

1. अनाराम पुत्र सोनाराम
2. भागाराम पुत्र सोनाराम
3. मथुरीदेवी पत्नि महादेवाराम
4. जगताराम पुत्र खेताराम
5. रूपाराम पुत्र खेताराम

जातियान रबारी निवासीयान– उकजी की ढाणी लूणवा जागीर, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

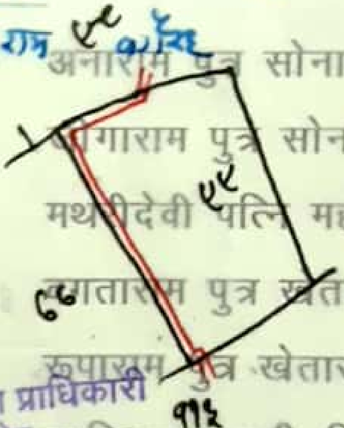

संकेत — प्रस्तावित गैरमु. रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पहचानकर्ता
(हस्ताक्षर)
पटवारी - लूणवा जागीर

अ.नि. अना
अ.नि. जोगा
अ.नि. मथरों
अ.नि. वगता
अ.नि. रूपा

उत्तरदातागण–

1. प्रभूराम पुत्र ...
2. श्रीमती ... पत्नि ...
3. ... पुत्र ...
4. सांवलाराम पुत्र ...

सभी अपीलांटगण की न्यायालय में अपील के संबंध में बाद रजामंदी खसरा नं. 11 मौजा लूणवा जागीर में सेपरेट (प्राथमिक) द्वारा चाहे गए रास्ते को ... अनुसार दिया जाता निर्देशित का आदेश)
(हस्ताक्षर) 7/8/19